प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 456 / 1996

नंदलाल एवं अन्य

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)

निर्णय

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

दिनांक 19.07.2012

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 456 / 1996

अपीलार्थीगण 1. नंदलाल पिता गबर साय, उम्र 30 वर्ष

2. जानसाय पिता पवनसाय गोंड

दोनों निवासी – बोडेमुडा, थाना खडगवा, जिला सरगुजा, म.प्र. (वर्तमान – छत्तीसगढ)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित-

अपीलार्थीगण के लिए: कोई नहीं।

राज्य के लिए: श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 19.07.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया।

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 402/95 में दिनांक 28 फरवरी, 1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय

द्वारा, अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है।

(2) तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:

दिनांक 27.8.95 को तुलसीराम (अ.सा.1) और रामप्रसाद (अ.सा.2) ग्राम धनपुर गए थे। जब वे दोपहर को लौट रहे थे, तो उन्हें ग्राम बोडेमुडा के बाहरी क्षेत्र में एक सड़क के किनारे गंभीर रूप से घायल अवस्था में मृतक - आनंदराम मिला। मृतक उन्हें बचाने के लिए कह रहा था। उन्होंने मृतक को उस स्थान पर छोड़ा और गाँव तथा मृतक के परिवार के सदस्यों को सूचित करने चले गए, जिसमें फूलकुंवर (अ.सा.4 - मृतक की पत्नी) भी शामिल थी। वे घटना स्थल पर पहुँचे और मृतक को घर ले आए। जब उन्होंने मृतक से पूछा कि उसे चोटें कैसे लगीं, तो मृतक ने फूलकुंवर (अ.सा.4), तुलसीराम (अ.सा.1) और रामप्रसाद (अ.सा.2) को मौखिक मृत्युपूर्व कथन की कि उस पर दोनों अपीलार्थीगण ने हमला किया था। अभियोजन का प्रकरण यह है कि लगभग 12 बजे दोपहर, फूलकुंवर (अ.सा.4) ने मृतक (उसके पति) को घर में दो अपीलार्थीगण के साथ छोड़ा, जो शराब पी रहे थे। इसके बाद, मृतक को उपर्युक्त 2 साक्षियों द्वारा घायल अवस्था में पाया गया। इसलिए, साक्षी घटना के बारे में जानने के लिए अपीलार्थीगण के पास गए। उनके अनुसार, अपीलार्थी नंदलाल ने उन्हें बताया कि एक मैटाडोर ने मृतक को टक्कर मार दी थी, जिससे उसे चोटें आई थीं। तदनुसार, तुलसीराम (अ.सा.1) द्वारा दिनांक 28.8.95 को पुलिस थाना में मृतक की दुर्घटनाजन्य मृत्यु के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.6) दर्ज कराई गई, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत एक दांडिक प्रकरण दर्ज किया गया। यहाँ तक कि शव-परीक्षण सर्जन ने शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी.9) में यह उल्लेख नहीं किया कि यह हत्यात्मक थी या दुर्घटनाजन्य मृत्यु। बाद में, जब पुलिस को मृत्युपूर्व कथन की सूचना मिली, तो हत्या की जाँच की गई और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) यह स्वीकृत तथ्य यह है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था।

अभियोजन जिन परिस्थितियों पर निर्भर रहा, वे निम्नलिखित हैं:

(i) अपीलार्थीगण और मृतक को एक साथ देखा गया था;

(ii) मृतक ने फूलकुंवर (अ.सा.4), तुलसीराम (अ.सा.1) और रामप्रसाद (अ.सा.2) के समक्ष मौखिक मृत्युपूर्व कथन की थी; एवं

(iii) मृतक की दुर्घटनाजन्य मृत्यु से संबंधित अपीलार्थीगण द्वारा दी गई व्याख्या झूठी थी।

(4) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने, अपने निर्णय की कंडिका -13 में, मौखिक मृत्युपूर्व कथन की परिस्थिति पर भरोसा नहीं किया। तथापि, अन्य परिस्थितियों पर अवलंबन लेते हुए, यह माना गया कि अपीलार्थीगण ने मृतक की हत्या की थी, इसलिए वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडादेश के योग्य थे।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) हमने सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया है और विद्वान पैनल अधिवक्ता को सुना है, जिन्होंने सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, परिस्थितियाँ पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। वे निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। परिस्थितियां व्याख्या किये जाने योग्य नहीं होनी चाहिए और उन्हें साबित किए जाने वाले को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को नकार दिये जाने वाला होना चाहिए और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न बचे और उन्हें यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

(7) **<u>मौखिक मृत्युपूर्व कथन :</u>**

फूलकुंवर (अ.सा.4) मृतक की पत्नी हैं। उसने कथन किया है कि लगभग 12 बजे दोपहर को अपीलार्थीगण और मृतक उनके घर पर उपस्थित थे। वे शराब पी रहे थे। तुलसीराम (अ.सा.1) और रामप्रसाद (अ.सा.2) उनके पास आए और उन्होंने बताया कि लगभग 4.00

बजे अपराह्न को उन्हें बोडेमुडा सड़क पर मृतक घायल अवस्था में मिला था। उन्होंने उसे बताया कि या तो मृतक पर किसी के द्वारा हमला किया गया था या उसका किसी वाहन से दुर्घटना हो गई थी। उपरोक्त सूचना पर, वह घटना स्थल पर गई और मृतक को घायल अवस्था में देखा। वह मदद के लिए रो रहा था। वे मृतक को घर ले आए। जब उसे होश आया, तो उसने उन्हें (फूलकुंवर - अ.सा.4; तुलसीराम - अ.सा.1 व रामप्रसाद- अ.सा.2) बताया कि उस पर अपीलार्थीगण द्वारा हमला किया गया था। तत्पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। तुलसीराम (अ.सा.1) और रामप्रसाद-अ.सा.2) ने फूलकुंवर (अ.सा.4) के उस कथन का समर्थन नहीं किया जो मृतक ने उनके समक्ष मृत्युपूर्व कथन के रूप में किया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने, इसलिए, मृत्युपूर्व कथन के साक्ष्य को अविश्वसनीय माना।

(8) **मिथ्या स्पष्टीकरण:**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने माना कि अपीलार्थीगण ने यह कहते हुए मिथ्या स्पष्टीकरण दिया था कि मृत्यु दुर्घटनाजन्य थी, इसलिए, यह उनके विरुद्ध एक गंभीर परिस्थिति थी। हमें अभिलेख पर साबित तथ्यों के अनुसार उपरोक्त परिस्थिति संदिग्ध लगती है। तुलसीराम (अ.सा.1) वह व्यक्ति है जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.6) दर्ज कराई थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.6) दिनांक 28.8.95 को लगभग 7.30 बजे सुबह दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.6) के अनुसार, दिनांक 28.8.95 को लगभग 8.00 बजे रात में मृतक की मृत्यु हो गई। यदि अपीलार्थीगण द्वारा किए गए हमले के तथ्य को पहले ही मृतक की पत्नी को उजागर कर दिया गया था, तो तुलसीराम (अ.सा.1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत एक अपराध दर्ज कराने के बजाय हत्या का रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए था। तुलसीराम (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह कथन नहीं किया है कि मृतक को घायल अवस्था में देखने के बाद, उसकी मुलाकात अपीलार्थीगण और अपीलार्थी- नंदलाल से हुई थी। रामप्रसाद (अ.सा.2) ने कथन किया है कि वे अपीलार्थीगण के घर गये थे। अपीलार्थी जानसाय उनसे नहीं मिला, तथापि, उन्होंने पाया कि अपीलार्थी

नंदलाल ने उन्हें मैटाडोर द्वारा हुई दुर्घटना के बारे में बताया था। मृतक की मृत्यु दिनांक 27.8.95 की शाम को हो गई थी। यदि कथित मृत्युपूर्व कथन का तथ्य अपीलार्थीगण के घर जाने के पूर्व का होता, तो तुलसीराम (अ.सा.1) और रामप्रसाद (अ.सा.2) को घटना के बारे में जानने हेतु अपीलार्थीगण के घर जाने का कोई कारण नहीं होता। किसी भी स्थिति में, यदि यह शाम को उजागर किया गया था कि मृतक पर अपीलार्थीगण द्वारा हमला किया गया था, तो दुर्घटनाजन्य मृत्यु की रिपोर्ट क्यों दर्ज की गई? इसलिए, अपीलार्थीगण द्वारा मिथ्या स्पष्टीकरण देने की परिस्थिति का, साक्ष्य के रूप में साबित नहीं किया जाना, इस संबंध में कमजोर कडी है। वास्तव में उपरोक्त परिस्थिति के संबंध में दोनों साक्षियों के साक्ष्य संदिग्ध है।

(9) **<u>अंतिम बार एक साथ देखा गया:</u>**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फूलकुंवर (अ.सा.4) कथन की है कि अपीलार्थीगण और मृतक लगभग 12 बजे दोपहर को उनके घर पर शराब पी रहे थे। उसके अनुसार, लगभग 4.00 बजे अपराह्न को तुलसीराम (अ.सा.1) और रामप्रसाद (अ.सा.2) ने मृतक को घायल अवस्था में देखा गया। शंकर (अ.सा.5) वह व्यक्ति है जिसने अपीलार्थीगण को मृतक के साथ लगभग 12 बजे दोपहर - 1.00 बजे अपराह्न के बीच देखा था। उसके अनुसार, वह उस समय अपनी मवेशियों को पास के इलाके में चरा रहा था। उसने कथन किया है कि उसने उसी समय मृतक और अपीलार्थीगण को धनपुर की ओर एक साथ जाते हुए देखा था। उसने आगे कथन किया है कि उस समय वे लड़ नहीं रहे थे। वे नशे में थे। शाम को उसे पता चला कि मृतक मर गया था। यह शंकर (अ.सा.5) का संपूर्ण साक्ष्य है। शंकर एक आकस्मिक साक्षी है। उसने मुख्य परीक्षा में यह कथन क्यों किया कि अपीलार्थी उस समय मृतक से झगड़ा नहीं कर रहे थे। यह कैसे पता चला कि वे नशे में थे। उसका साक्ष्य, इसलिए, संदिग्ध प्रतीत होता है। इसके अलावा, उसने कथित तौर पर लगभग 12 बजे दोपहर - 1.00 बजे अपराह्न के बीच अपीलार्थीगण की संगति में मृतक को देखा था और लगभग 4.00 बजे अपराह्न को मृतक को घायल अवस्था में पाया गया था। इस प्रकार, जब उसने अपीलार्थीगण की संगति में

मृतक को देखा था और मृतक को घायल अवस्था में पाया गया था, उसके बीच 3-4 घंटे का समय अंतराल था। उस समय के बाद क्या हुआ, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आने की कोई भी संभावना पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है और उपर्युक्त परिस्थिति, भले ही साबित हो जाए, अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोगात्मक नहीं होगी।

(10) **अपराध का हेतुक :**

(2010) 7 एस.सी.सी. 759 में प्रकाशित न्यायदृष्टांत **धरणीधर विरूद्ध राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए कंडिका-19 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया है :-

> "हालाँकि, उन प्रकरणों में जो पूर्णतया या मुख्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित और उन पर निर्भर होते हैं, हेतुक की प्रासंगिकता अधिक या कम हो सकती है (**बाबू लोधी विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (1987) 2 एससीसी 352 तथा प्रेम कुमार विरूद्ध बिहार राज्य, (1995) 3 एससीसी 228**)। परन्तु यह भी समान रूप से सत्य है कि जब अभियुक्त के विरुद्ध सकारात्मक साक्ष्य अपराध के संबंध में स्पष्ट हों तो हेतुक का महत्व अधिक नहीं रह जाता। हेतुक की अनुपस्थिति मात्र, भले ही ऐसे मान लिया जाए, स्वयं में अभियुक्त को दोषमुक्त कराने का कारण नहीं बनेगी यदि अन्यथा अपराध का कारित होना कठोर और विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो। (**पंजाब राज्य विरूद्ध कुलजीत सिंह, (2003) 2 आरसीआर (क्रिमि.) 629 (पी. व एच.).**"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अतः हेतुक की प्रासंगिकता मुख्यतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन ने कोई 'हेतुक' स्थापित नहीं किया है। अभियोजन द्वारा कोई 'हेतुक' तक सुझाया ही नहीं गया। इस संबंध में कोई अण्वेषण भी नहीं की गई है। आक्षेपित निर्णय की कंडिका - 16 में स्वयं सत्र न्यायाधीश ने यह अभिव्यक्त किया है कि इस प्रकरण में कोई हेतुक सिद्ध नहीं हुआ और यह दर्शाने के लिये कोई सामग्री नहीं है कि

अपीलार्थीगण और मृतक के बीच पूर्व वैमनस्यता विद्यमान थी। तथापि, कंडिका-17 में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने काल्पनिक रूप से उल्लेख किया है कि चूँकि यह एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ के व्यक्ति बारम्बार शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद असामयिक घटनाएँ जैसे हत्या सामान्यतः घट जाती हैं। अतः सत्र न्यायाधीश ने यह मान लिया कि यह भी एक समान प्रकार का प्रकरण प्रतीत होता है। उपरोक्त निष्कर्ष किसी सिद्ध तथ्य पर आधारित नहीं है। यह निष्कर्ष पूरी तरह आधारहीन है। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए उपर्युक्त काल्पनिक निष्कर्ष का हम समर्थन नहीं करते हैं। अतः, हम यह पाते हैं कि अभियोजन मृतक की हत्या के आरोप को प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

(12) उपरोक्त कारणों से, हम उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थीगण के दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हैं। अतः, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थीगण के विरुद्ध विरचित आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थीगण ज़मानत पर हैं। उनके ज़मानत बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूतियाँ उन्मोचित की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- | सही/-
मुख्य न्यायाधीश | सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश | न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By - श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक